प्राक्कथन

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग सीमा शुल्क तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन महानिदेशक विदेश व्यापार की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

सरकार ने व्यापक, कागज रहित, पूरी तरह से स्वचालित सीमा शुल्क निकास प्रणाली तैयार करने और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में लेन-देन की जानकारी की उपलब्धता के लिए भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस) में महत्वपूर्ण निवेश किया है। यह लेखापरीक्षा को कुछ स्थानों पर लेन देन की नमूना लेखापरीक्षा की अपेक्षा सौ फीसदी डेटा की समीक्षा करने और सभी सीमा शुल्क आयुक्तों पर कर कानूनों के लागू करने की सटीकता पर सरकार और संसद को उच्च स्तरीय आश्वासन प्रदान करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। पूर्ण डेटा की उपलब्धता लेन-देन की नमूना जांच के लिए सीमा शुल्क परिसर में लेखापरीक्षा की प्रत्यक्ष जांच की आवश्यकता को भी कम करती है। तथापि, चूंकि विभाग अखिल भारतीय लेन-देन के लिए पूर्ण और समय पर डेटा प्रदान करने में असमर्थ था, इसलिए 67 में से 38 सीमा शुल्क कमिश्नरियों में प्रत्यक्ष रूप से लेखापरीक्षा की गई थी।

इस रिपोर्ट में उल्लेखित वे दृष्टान्त हैं, जो 2017-18 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और साथ ही जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए थे, लेकिन पिछले लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाये नहीं जा सके थे। 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टान्तों को भी, जहाँ भी आवश्यक हो, शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।